पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 110/2024 **दिनांक- 03.04.2024**

प्रेस नोट

थाना- कप्तानगंज

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक- 01.04.2024 को वादी मुकदमा जयप्रकाश यादव पुत्र बिरजू यादव ग्राम ओरा, थाना- कप्तानगंज जनपद-आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त मंदीप निषाद पुत्र राजेश निषाद ग्राम बड़सरा आइमा चकिया थाना कप्तानगंज द्वारा दिनांक- 21.03.2024 को कोइनहा बाजार से वादी की साउण्ड मशीन व इक्सचेन्जर को चोरी कर लिया है। तथा विवान पुत्र बाबूलाल का हारन मशीन व कैलाश निषाद पुत्र स्व0 रामकेश निषाद बड़सरा आइमा थाना-कप्तानगंज का 01 जनरेटर चोरी कर लिये है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 82/24 धारा- 380 भादवि पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 वंशराज सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि अभियुक्त मंदीप निषाद ने विपिन निषाद पुत्र हरिद्वार निषाद निवासी ग्राम बैसपुर थाना अतरौलिया आजमगढ उम्र 23 वर्ष के साथ मिलकर चोरी किया है।

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 02.04.2024 को उ0नि0 वंशराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त बिपिन निषाद पुत्र हरिद्वार निषाद निवासी ग्राम बैसपुर थाना अतरौलिया आजमगढ उम्र 23 वर्ष को कोईनहा मोड़ से 03 डीजे मशीन के साथ व उसके निशानदेही पर जनरेटर बरामद कर अभियुक्त को समय करीब 17.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- बिपिन निषाद पुत्र हरिद्वार निषाद नि0 ग्राम बैसपुर थाना अतरौलिया आजमगढ उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी- 03 डीजे मशीन, 01 जनरेटर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-83/23 धारा- 380, 411 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1.उ0नि0 वंशराज सिंह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

2.उ0नि0 काशी नाथ यादव, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 जगभान पाल, का0 मिथिलेश .यादव, का0 देवकीनन्दन पाल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

रौनापार-आजमगढ

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 31.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त घुरहू चौहान पुत्र खुद्दी चौहान निवासी ग्राम बैजावारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने वादिनी की पुत्री को खाद्य सामग्री का लालच देकर बहला फुसला कर दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 119/2024 धारा 376AB भादवि0 व 5M/6 पाक्सों एक्ट पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा प्रारम्भ की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 03.04.2024 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त घुरहू चौहान पुत्र खुद्दी चौहान निवासी ग्राम बैजावारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष को गोसाई बाजार तिराहा से समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया ।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 119/24 धारा 376AB भादवि व 5M/6 पाक्सों एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- घुरहू चौहान पुत्र खुद्दी चौहान ग्राम बैजावारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य, का0 अवधेश यादव, का0 विशाल मल्ल, म0का0 पूजा पासवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

थाना – दीदारगंज

अवैध तमंचा - कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 03.04.2024 को उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त अल्तमश S/O मुबारक R/O चितारामहमुदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष को बिछिया पुलिया से 01 तमंचा 315 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 88/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त– अल्तमश पुत्र मुबारक ग्राम चितारामहमुदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 88/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम- प्र0नि0 अखिलेश कुमार, उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 दिलीप सिह थाना दीदारगंज आजमगढ़।

थाना- फूलपुर

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 02/04/2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामनाथ निवासी मानपुर थाना फुलपुर आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा वादिनी द्वारा शादी के लिये पूछने पर सुनील द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की दी गयी जिसके सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-160/2024 धारा 376/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 03.04.2024 को व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामनाथ निवासी मानपुर थाना फुलपुर आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को माहुल मोड से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- सुनील कुमार पुत्र रामनाथ निवासी मानपुर थाना फुलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-160/2024 धारा 376/504/506 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम– व0उ0नि0 गंगाराम बिन्द, का0 महेन्द्र सरोज, का0 राजेश कुमार यादव थाना फूलपुर, आजमगढ़।

थाना – अहरौला

दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक 03.04.2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पुत्री के साथ अभियुक्तों 1. सौरभ पुत्र रामधारी निवासी जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व 2. बाल अपचारी ने दुष्कर्म किया और उसका विडियों बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिये तथा मेरी पुत्री को धमकी दिये कि अगर अपने घर वालों या किसी को बताया तो तुम्हें व तुम्हारे पूरे परिवार वालों को जान से मार देंगे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-138/24 धारा 376 (D)(B)/506 भादवि 5(G)(M)/6 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट बनाम 1. सौरभ पुत्र रामधारी निवासी कोठवा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 2. बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना निरीक्षक मोतीलाल पटेल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा की जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 03.04.2024 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. सौरभ पुत्र रामधारी निवासी कोठवा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व 2. बाल अपचारी को शाहपुर पुल से समय करीब 14:40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 138/24 धारा 376(D)(B)/506 भादवि 5(G)(M)/6 पाक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सौरभ पुत्र रामधारी निवासी कोठवा जलालपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

2. बाल अपचारी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, का0 सौरभ राय, का0 विशाल सोनकर, म0का0 अनामिका कुशवाहा थाना अहरौला आजमगढ़।
2.का0 परीक्षित दूबे व का0 आशुतोष त्रिपाठी-(सादे वस्त्र में)) थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

चोरी की घटना में प्रकाश में आये 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में; चोरी का सामान बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 02.04.2024 को आवेदक मोती विश्वकर्मा पुत्र स्व. फूलचन्द विश्वकर्मा निवासी ग्राम हटवाँ खालसा थाना मेंहनगर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि मेरी दुकान कस्बा मेंहनगर वार्ड नं0 8 आजाद नगर से दिनांक 31-03-024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का ताला तोड़कर दुकान से गैलेन्डर मशीन, ड्रील मशीन आदि सामान चुरी कर लिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 119/24 धारा 380/457 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- चोरी की घटना के अनावरण व अज्ञात चोरों की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 सूर्यप्रताप सिंह के नेतृत्व में 01 टीम का गठन किया गया। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1. मिल्लत आजमी पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी वार्ड नंबर 7 जवाहर नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ व 2. एक बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को उ0नि0 सूर्यप्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. मिल्लत आजमी पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी वार्ड नंबर 7 जवाहर नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ व 2. एक बाल अपचारी को अक्षैबर पुलिया से समय करीब 13.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ अभियुक्तो की निशादेही पर चोरी गये 01 गैलेन्डर मशीन, 01 कटर चार्जर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मिल्लत आजमी पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी वार्ड नंबर 7 जवाहर नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
2. एक बाल अपचारी

बरामदगी- 01 गैलेन्डर मशीन, 01 कटर चार्जर

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं 119/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास– मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 सूर्यप्रताप सिंह, का0 सत्यम सिंह, थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
2. का0 उदयभान गुप्ता (सादे वस्त्रो में)

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय आजमगढ़ द्वारा दोषी करार देते हुए **आजीवन कारावास की सजा एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

01. थाना निजामाबाद:- हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपये जुर्माना।

➡ दिनांक-19.03.2018 को वादी मुकदमा जुही बानों पत्नी स्व0 बबलू खां निवासी सीधासुल्तानपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया थी कि विपक्षी 1. खालिद मास्टर पुत्र मोबिन खां, 2. लुकमान पुत्र स्व0 अब्दुल दाही समस्त निवासी सीधासुल्तानपुर थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ द्वारा घर में घुसकर हत्या की घटना कारित की गयी थी।

➡अभियुक्तों के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 23/2018 धारा 302/34/323/452 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 02.04.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 7, द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1. खालिद मास्टर पुत्र मोबिन खां, 2. लुकमान पुत्र स्व0 अब्दुल दाही समस्त निवासी सीधासुल्तानपुर थाना निजामाबाद जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को **आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा चलाये गए चेकिंग अभियान में 418 वाहनों का चालान।

दिनांक- 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाये गये अभियान में जनपद के कुल 105 स्थानों पर चेकिंग की गई जिसमें कुल 1909 वाहनों को चेक किया गया। बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवको द्वारा मोटरसाईकिल पर तीन सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 418 वाहनों का चालान किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

आगामी रामनवमी, ईद त्योहार व लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने थाना मुबारकपुर व कोतवाली में की बैठक

आज दिनांक- 03.04.2024 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा रामनवमी, ईद त्योहार व लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत थाना मुबारकपुर व कोतवाली में आमजन के साथ बैठक की गयी, सभी को आदर्श आचार संहिता से अवगत कराते हुए आयोग की गाइडलाइन पालन करने के निर्देश दिए गए।

➡पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्भ्रान्त व्यक्तियों से आगामी रामनवमी, ईद त्योहार व लोकसभा चुनाव 2024 से सम्बन्धित समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा आमजन को यहा भी बताया गया कि पुरे जनपद में आचार संहिता एवं धारा 144 लागू है कोई किसी भी प्रकार का आयोजन भी होगा तो बिना अनुमति के न हो, हर आयोजन, सभा या कोई जुलूस हो या कोई रैली हो उसका विधिक रूप से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कराया जायेगा। जुलूस के सम्बन्ध में यह निर्देश है कि एक जुलूस में 10 गाड़िया रह सकती है, 100 मीटर का गैप देना होगा तब दुसरी गाड़ी रह सकती है। निर्वाचन आयोग का बेसिक नियम है, जिनका पालन करने हेतु आप सभी लोगो को निर्देश दिया गया।

➡जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से खंड विकास अधिकारियों के साथ बूथों का निरीक्षण करते हुए जल, सफाई, विद्युत व्यवस्था, रैंप, शौचालय आदि व्यवस्थाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

➡पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थानाध्यक्ष ग्रामों में भ्रमण कर जारी किए गए लाइसेंस शास्त्रधारक की जानकारी प्राप्त करें तत्काल लाइसेंसी शस्त्रों को जमा करायें।

➡किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव से सम्बन्धित शिकायत अवैध शराब, डराना/धमकाना, प्रलोभन,अवैध शस्त्र,पैसा बांटना, अपराधिक गतिविधि ,मादक पदार्थों का सेवन/ वितरण व किसी प्रकार की सामग्री का वितरण नगदी/शराब/ कपड़े इत्यादि की सूचना चुनाव पुलिस मित्र कंट्रोल रूम के हेल्प लाइन नं0 0546-2297573 पर 24 घण्टे दिया जा सकता है।

➡यदि कोई शिकायतकर्ता अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है तो केवल गांव का नाम बताना अनिवार्य होगा, जिससे पुलिस कार्यवाही की जा सकें तथा शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जा सकें।

➡उप जिलाधिकारी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठकर विवादित स्थान पर जाकर अराजक तत्वों को चिन्हित कर पाबंद करें गांव के सभी संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण करें।

➡उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी व्यक्ति 49000 से अधिक नगदी लेकर चल रहा है तो अपने साथ रिकॉर्ड जरूर रखें कितने नोट हैं बैंक से निकले हैं तो उसका कागज और एटीएम की पर्ची साथ में रखें। चुनाव में धनबल के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित न किया जाए ,इसलिए चेकिंग शुरू हो चुकी है। यदि 49000 से अधिक कैश है, तो हिसाब देना जरूरी है हिसाब नहीं दे पाने पर रकम जब्त कर ली जाएगी।